अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के व्यवसायिक लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/94 से 3/2012

1 **प्रारम्भिकः–**

(i) अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में व्यवसायिक आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयुक्त एवं सचिव युवा सेवायें एवं खेल के पत्र संख्या YS3(c) 11 1/83-4 दिनांक 11.12.92 के अन्तर्गत शुरू किया गया। संस्थान के व्यवसायिक लेखों (अवधि 04/94 से 33/2012) का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण, श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी, (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 23.9.13 से 5.10.13 के दौरान मनाली में किया गया जिसके परिणाम आगामी अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है। माह 5/1994, 5/1995, 5/1996, 5/1999, 4/2000, 6/2001, 5/2002, 5/2003, 5/2004, 4/2005, 12/2006, 6/2007, 5/2008, 3/2010, 3/2011, 6/2011 के लेखों का चयन आय की विस्तृत जाँच के लिए और माह 9/1994, 3/1996, 5/1996, 3/2000, 3/2001, 3/2002, 3/2003, 3/2004, 8/2004, 3/2006, 3/2007, 3/2008, 3/2009, 3/2010, 3/2011 के लेखों का चयन व्यय की विस्तृत जाँच के लिए किया गया।

क्र0सं0	निदेशक का नाम	अवधि
1	कर्नल एच0एस0 चौहान	19.06.90 से 18.3.1995
2	श्री अनिल खाची	19.3.1995 से 01.05.1997
3	कर्नल एच0एस0 चौहान	01.05.1997 से 30.6.1999
4	श्री अश्वनी कपूर उपायुक्त कुल्लू	01.07.99 से 11.01.200
5	कर्नल एच0एस0 चौहान	12.01.2000 से 27.06.2004
6	केप्टन रणधीर सिंह सहलूरिया	28.6.2004 से 09.07.2004
7	कर्नल एच0एस0 चौहान	10.07.2004 से 3.01.2005
8	श्री आर डी तजीम उपायुक्त कुल्लू	4.1.2005 से 9.6.2005
9	श्री हसं राज चौहान ADM कुल्लू	10.6.2005 से 18.6.2005
10	श्री चमेलसिंह उपायुक्त कुल्लू	5.07.2005 से 1.09.2006
11	कर्नल एच0एस0 चौहान	1.9.2006 से 31.8.2007

12	श्री अभिशेक जैन उपायुक्त कुल्लू	1.9.2007 से 18.3.2008
13	श्रीमती सुधा देवी उपायुक्त कुल्लू	19.3.2008 से 8.07.2009
14	केप्टन रणधीर सिंह सहलुरिया	8.07.2009 से 31.3.2012

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्थान के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी प्रकार की गलत सूचना एवं सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

(ii) वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्न अधिकारी संस्थान के प्रभारी रहे।

क्र0सं0	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री महावीर सिंह ठाकुर	1.4.1994 से 23.07.2005
2	केप्टन रणधीर सिंह सहलुरिया	27.7.2005 से 24.1.2007
3	श्री महावीर सिंह ठाकुर	25.1.2007 से 11.5.2007
4	श्री डी0एस0 गुलिया	12.5.2007 से 10.9.2008
5	श्री रणधीर सिंह सहलूरिया	11.9.2008 से 31.3.2012

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि ₹ में
1	5	प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से प्राप्त की फीस की राशि से सम्बन्धित रसीद संख्या इत्यादि को रोकड़ वही में न दर्शाया जाना	111.49
2	6	प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से प्राप्त की गई राशि को रोकड़ वही में जमा न करना	0.34
3	7	विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से प्राप्त नगद फीस की को रोकड़ वही/बैंक में देरी से जमा करना	0.82

4	8	प्रशिक्षणार्थियों / संस्थाओं से बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त फीस की राशि की रसीद संख्या न दर्शाना तथा प्राप्त राशि को रोकड़ वही / बैंक में जमा न करना	6.08
5	13	बिलों, रजिस्टरों व सम्बधित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जाना तथा भुगतान से सम्बन्धित अन्य अनियमितताओं का पाया जाना	विवरण पैरे में दिया गया है

2 अंकेक्षण शुल्कः–

संस्थान के व्यवसायिक लेखों (अवधि 4/94 से 3/2012) के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹6600/– किया गया। संस्थान द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को संस्थान के खाद्य लेखों के साथ संकलित करके भेज दिया गया है जिसका ब्यौरा खाद्य लेखों के अवधि 4/207 से 3/2013 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है।

3 वित्तीय स्थितिः–

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली द्वारा प्रस्तुत संस्थान के व्यवसायिक लेखों (अवधि 4/94 से 3/12) की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा **परिशिष्ट "I"** में संलग्न है।

(i) वर्ष 94–95 की रोकड़ वही में 31.3.95 को हस्तगत ₹2160 थी जिसे वर्ष 95–96 की रोकड़ वही के प्रारम्भिक शेष में नहीं दर्शाया गया। इस प्रकार रोकड़ वही में ₹2160 कम ली गई जिसे उचित माध्यम से वसूल करके जमा करवाया जाए।

(ii) वर्ष 95–96 की रोकड़ वही में 31.3.96 को हस्तगत ₹866 थी जिसे वर्ष 96–97 के प्रारम्भिक शेष में नहीं दर्शाया गया। इस प्रकार रोकड़ वही में ₹866 कम ली गई जिसे उचित माध्यम से वसूल करके जमा करवाया जाए।

(iii) वर्ष 1997/1998 व 1998/1999 की रोकड़ वही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसे जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) वर्ष 1999–2000 की रोकड़ वही में गत वर्ष 1998–1999 की अन्तशेष की राशि को न दर्शाकर 1.4.99 को बैंक खाते में जमा राशि को ही प्रारम्भिक शेष में लिया गया। अतः गत

वर्षों की रोकड़ वही की समाधान विवरणी बनाने के उपरान्त वास्तविक अन्तशेष को प्रारम्भिक शेष में दर्शाया गया।

(v) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि व्यवसायिक लेखो ंकी माहवार बैंक समाधान विवरणी नहीं तैयार नहीं की गई थी जिसे तैयार करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

(vi) संस्थान की वित्तीय स्थिति के अनुसार वर्ष 2011–12 में व्यवसायिक लेखों में अन्तशेष की ₹19002786/–दर्शाई गई है तथा वर्ष 2011–12 में संस्थान द्वारा व्यवसायिक लेखों के खातों में पड़ी राशि को निम्नविवरणानुसार ही खाद्य लेखों में हस्तांतरित कर दिया गया दर्शाया गया है।

व्यवसायिक लेखों के बैंक खातों में जमा राशि को खाद्य लेखों की रोकड़ वही के पृ0संख्या 58 दिनांक 26.7.11 पर जमा किया गया दर्शाया गया है= 5326027

व्यवसायिक खाते में निवेश की गई राशि को दिनांक 2.8.11 को खाद्य लेखों में जमा किया गया दर्शाया गया है = 12987803

इस प्रकार संस्थान द्वारा व्यवसायिक खातों की वर्ष 2011–12 की शेष राशि में से उपरोक्त विवरणानुसार (₹5326022+₹12987803=₹18313830/–) खाद्य खातों में हस्तांतरित की गई दर्शाई गई है तथा शेष ₹688956/– को हस्तांतरित करने के बारे में स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया है अपितु संस्था द्वारा व्यवसायिक खातों से दी गई अग्रिम की बकाया ₹1529442/– को भी खाद्य लेखा रोकड़ वही में पृ0सं0 74 दिनांक 2.8.11 को जमा किया गया दर्शाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए क्योंकि सामान्यतः अग्रिम के रूप में दी गई राशि वित्तीय स्थिति के हिस्से/भाग के रूप में नहीं दर्शाई जाती है। उपरोक्त के अतिरक्त संस्थान द्वारा व्यवसायिक खातों से हस्तगत ₹3066 भी खाद्य लेखों में हस्तांतरित की गई दर्शाई गई है परन्तु उक्त हस्तगत राशि को खाद्य लेखों में कब और कहाँ पर जमा किया गया इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

अंकेक्षण के दौरान जाँच पर पाया गया कि संस्थान द्वारा व्यवसायिक लेखों को बन्द करने बारे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं बताई गई तथा उक्त राशिया हस्तांतरित करते समय न तो बैंक समाधान विवरणी तैयार की गई और न ही उक्त विवरणानुसार हस्तांतति की गई समस्त राशियों का संस्थान के खाद्य लेखों के खातों के साथ मिलान किया। अतः

व्यवसायिक लेखों की 2.8.11 तक की बैंक समाधान विवरण तैयार की जाए तथा लेखों से हस्तांतरित की गई समस्त राशियों (हस्तगत राशि सहित) का खाद्य लेखों से मिलान करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण कके दौरान करवाई जाए। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक लेखों से हस्तांतरित की गई राशि हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी प्रस्तुत की जाए।

4 निवेशः–

व्यवसायिक लेखों से अवधि 4/94 से 3/12 तक किए गए निवेशों की 31.3.2012 की स्थिति **परिशिष्ट–II** में संलग्न है। उक्त परिशिष्ट में दर्शाई गई निवेशित राशियों का परिपक्वता व नवीनीकरण खातावार अभिलेख तैयार किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए। तत्पश्चात उक्त निवेशित की गई राशियों की जाँच संस्थान के खाद्य लेखों के साथ करवाई जाए क्योंकि उक्त वर्णित पैरा 3 (vi) के अनुसार दिनांक 2.8.11 यह राशियाँ संस्थान के खाद्य लेखों में हस्तांतरित कर दी दर्शाई गई है।

5 प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से प्राप्त की गई फीस की ₹11149640/– से सम्बन्धित रसीद संख्या इत्यादि को रोकड़ वही में न दर्शाया जानाः–

व्यवसायिक लेखों की रोकड़ वही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही में विभिन्न प्रशिक्षणार्थियो/संस्थाओं से प्राप्त की गई फीस की ₹11149640/– की रसीद संख्या इत्यादि नहीं दर्शाई गई थी जिसके अभाव में यह जाँच नहीं की जा सकी कि किस संस्था/प्रशिक्षणाथियों से कौन से कोर्स के लिए कितनी फीस प्राप्त की गई तथा कितनी बकाया कोर्स की फीस वसूली हेतु शेष रह गई है। ऐसे मामलों का ब्यौरा **परिशिष्ट–III** में दिया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी आडिट पर आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

6 प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से प्राप्त की गई ₹34100/– को रोकड़ वही में जमा न करनाः–

व्यवसायिक लेखों के मैस रजिस्टर व कोर्स रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा आयेाजित विभिन्न प्रकार के कोर्सों के लिए प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से नगद फीस की राशि प्राप्त की गई दर्शाई गई थी जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट–IV** में किया गया है। अभिलेख की जाँच करने पर उक्त फीस की राशि की जमा प्रविष्टि रोकड वही में नहीं पाई गई। अतः मामले की आवश्यक छानबीन करके वस्तुस्थिति से

अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा रोकड़ वही जमा न की गई फीस की ₹34100/– की उचित स्त्रोत से भरपाई करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

7 प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से प्राप्त की गई नगद फीस की ₹82000/– को रोकड़ वही तथा बैंक में देरी से जमा करनाः–

अंकेक्षण के दौरान व्यवसायिक लेखों के मैस रजिस्टर की जाँच–पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के कोर्सों के लिए प्राप्त नगद फीस की राशि को रोकड़ वही/बैंक में देरी से जमा किया गया। अतः फीस से प्राप्त राशि को रोकड़ वही में देरी से दर्ज करके बैंक में देरी से जमा करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	मैस रजिस्टर पृ0सं0	संस्था का नाम	प्राप्त राशि	रोकड़ वही पृ0सं0	रोकड़ वही में जमा करने की तिथि
28.3.94	16	Secretary YHAI	14000	3	29.4.94
–यथोपरि–	–यथोपरि–	–यथोपरि–	33000	3	2.5.94
24.4.94	19	Joint Director, Youth affairs, Manipur	35000	11	22.6.95
		Total	**82000**		

8 प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त की गई फीस की ₹608805/– की रसीद संख्या न दर्शाना तथा प्राप्त राशि को रोकड़ वही/बैंक में जमा न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान व्यवसायिक लेखों के मैस रजिस्टर व कोर्स रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के कोर्सों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से बैंक ड्राफ्ट द्वारा भी फीस की राशि प्राप्त की गई थी जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट-V** में दिया गया है। अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि फीस की इन राशियों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में न तो रसीद संख्या नहीं दर्शाई गई थी

और न ही रोकड़ वही व बैंक में उक्त फीस की जमा प्रविष्टि दर्शाई गई है। अतः मामले की आवश्यक छानबीन करने के उपरान्त वांन्छित अभिलेख की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवानी सुनिश्चित की जाए।

9 प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से प्राप्त की गई फीस की ₹1101880/–से सम्बन्धित पूर्ण ब्यौरा मैस रजिस्टर में न दिया जानाः–

व्यवसायिक लेखों के मैस रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया की संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के कोर्सों के लिए प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से प्राप्त फीस की राशि, जिस का ब्यौरा **परिशिष्ट–VI** में दिया गया है, के मामलों में मैस रजिस्टर में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या, कोर्स का नाम व अवधि नहीं दर्शाई गई थी जिस के अभाव में यह जाँच नहीं की जा सकी की किस प्रशिक्षणार्थी/संस्था से कौन से कोर्स के लिए कितनी फीस प्राप्त की गई व कितना बकाया वसूली हेतु शेष रह गई है। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

10 प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीस को सरकारी कोष/सोसाईटी खाते में जमा करते समय विभिन्न कोर्सों की फीस विवरण न दिया जानाः–

व्यवसायिक लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीस को सरकारी कोष/सोसाईटी के खाते में जमा करते समय विभिन्न कोर्सों की फीस का विवरण संलग्न नहीं किया गया था, जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

रोकड़ वही पृ0सं0	दिनांक	भुगतान का विवरण	राशि
15	27.3.01	सरकारी कोष में जमा फीस	299802
100	27.3.3	सोसाईटी खाते में जमा फीस	754473
100	293.03	–यथोपरि–	2558755
150	31.3.04	–यथोपरि–	5649026
151	31.3.04	–यथोपरि–	161588
120	30.3.06	–यथोपरि–	1127677

96	28.3.07	–यथोपरि–	1053407
74	26.3.09	–यथोपरि–	1518020
		योग	**131222748**

11 प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीस की राशि को सरकारी कोष में जमा करने से सम्बन्धित पावती/रसीदों को अभिलेख में रखनाः–

व्यवसायिक लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीस की राशि को सरकारी कोष में जमा करने से सम्बन्धित पावती/ रसीदें अभिलेख में नहीं रखी गई थी। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किए जाएं।

रोकड़ वही पृ0सं0	दिनांक	भुगतान का विवरण	राशि
20	20.9.94	सरकारी कोष में जमा फीस	36600
36	30.3.96	–यथोपरि–	314643

12 बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं को फीस की राशि का रिफण्ड करना तथा रिफण्ड की गई फीस की मूल प्रविष्टि तथा पावती इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

व्यवसायिक लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा निमनलिखित मामलों में प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं को विभिन्न कोर्सों की फीस की राशि के रिफण्ड आर्डर पारित किये गये थे लेकिन इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं दर्शाई तथा फीस प्राप्ति की मूल प्रविष्टि से सम्बन्धित उल्लेख भी रिफण्ड आर्डर में नहीं दर्शाये गए जिस के अभाव में फीस की वापसी की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं से फीस रिफण्ड की पावतियाँ भी अभिलेख में नहीं पाई गई। अतः इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीस की मूल प्रविष्टि से सम्बन्धित अभिलेख रिफण्ड आर्डर में दर्शाए जाए तथा प्रशिक्षणार्थियों/संस्थाओं को रिफण्ड की गई फीस से सम्बन्धित पावतियाँ भी प्राप्त करके अभिलेख में लगाई जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

Cash Book Page No.	Date	Name of Institution /Trainers	Amount
146	5-3-04	Principal KV Chandigarh	3695
		Principal KV Bhanu	3000
		Principal KV Delhi	1350
		Principal KV Kadagwasala	4400
		Principal KV Jhthria Dongri	11250
		Principal KV III Amsitsar	7500
129	26-8-04	Principal KV Devoli	22180
110	17-3-06	Principal KV Noida	15400
110	17-3-06	Sh. A.K. Singu Secretary Nattonal adventure club Chandigarh	1500
115	27-3-06	M/S Indian Shepherds	20366
96	26-3-07	Sh. Karanjeet Singh Jallandher	4100
129	26-8-04	Principal KVord.Factory chanda	30800
		Principal KV Faridahad	2200
		Principal KV III Mamon cantt Ptk	15400
		Principal KVGurdaspur Cantt.	6600
		Principal KV Gandhi Nagar Jammu	11000
		Princip KV Khadagwasla	30922
129	26-8-04	M/S Sandeep Patil Goa. Outdoor education School Mahrastra	3800
		Dy. Director, Novodya vidhya Smiti	16800
187	14-3-08	Director, National Adventure club Chd.	6000
73	26-3-09	Secretary, WGFI, New Delhi	15000
74	28-3-09	Secretary National Adventure clube Chd.	8000
145	12-3-10	Mr. Rakesh Panwar, National Adventure Chd,.	6000
154	30-3-10	Col S.M. Ahmed DGQA Pune	8400
110	24-3-11	Joint Secretary National club Chd.	12500
110	24-3-11	Prinicipal, Rani Lakshmi Sainik Shaliha	15200

13 बिलों, रजिस्टरों व सम्बधित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जाना तथा भुगतान से सम्बन्धित अन्य अनियमितताओं का पाया जानाः—

व्यवसायिक लेखों के अंकेक्षण के दौरान विभिन्न मामलों में बिलों, रजिस्टरों एवं सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक लेखों से किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं भी पाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य अनियमितताओं का निपटारा भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

(i) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 77 से 88 पर दिनांक 18.8.04 को ₹4397282/— व ₹3712199/— का भुगतान मै0 के0के0 ब्रदर व मै0 MD Ganjanpur Alit Brothers को हाटकोटी में टेकिंग केम्पों के दौरान डाईट चार्जिज इत्यादि के रूप में किए गये व्यय के रूप में दर्शया गया है। उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल, कोटेशने व डाईट चार्जिज इत्यादि का ब्यौरा आडिट के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

(ii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 133 पर दिनांक 31.8.04 को ₹190773 व ₹42522 का भुगतान हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम रोहड़ू व रामपुर को अवधि 24.4.4 से 25.6.04 के दौरान ट्रेकिंग प्रशिक्षणार्थियों द्वारा की गई यात्रा हेतु किया गया। उक्त भुगतान बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि इस प्रकरण में प्रशिक्षणार्थियों का ब्यौरा अभिलेख में नहीं पाया गया। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 52 पर दिनांक 13.3.02 को अग्रिम ₹672500/— श्री नेक राम को बैंक ड्राफ्ट संख्या 291818 (₹650000+22500 कैश) के अन्तर्गत उपकरणों की खरीद हेतु दी गई जिसके सम्बन्ध में समायोजन वाउचर, कोटेशने व खरीदे गये उपकरणों की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि आडिट के दौरान नहीं दिखाई गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 6 पर दिनांक 22.5.96 को ₹18200/— का भुगतान मै0 वर्मा एन्टरप्राईजिज कुल्लू को किया गया दर्शाया गया है। उक्त बिजली के सामान की खरीद से सम्बन्धित बिल, कोटेशने व स्टॉक प्रविष्टि इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख आडिट में प्रस्तुत

नहीं किये गये। अतः वान्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 14 पर दिनांक 5.3.01 को ₹730 का भुगतान मै0 डी0के0 स्क्रीन मनाली को प्रिटिंग सामग्री के लिए उनके बिल संख्या 472, दिनांक 1.3.01 ₹150/– बिल संख्या 825 दिनांक 26.12.2000 ₹290/– तथा बिल संख्या 826 दिनांक 2.1.01 ₹290 के एवज में किया गया। उक्त प्रिंटिंग सामग्री से सम्बन्धि स्टॉक रजिस्टर को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) रोकड़ के पृष्ठ संख्या 52 पर दिनांक 13.3.02 को ₹21680/– का भुगतान मै0 बेस्ट कोस्ट इन्फ्रस्ट्रकचर ट्रेडर को उनके बिल संख्या 4801 दिनांक 10.4.01 के अन्तर्गत शेष बची राशि के रूप में किया गया दर्शाया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित मूल बिल, कोटेशने व खरीदे गए सामान की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टियाँ आडिट में नहीं दिखाए गए। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(vii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 54 पर दिनांक 28.3.02 को ₹3250/– का भुगतान निम्नलिखित संस्थाओं को वार्षिक शुल्क हेतु किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि इस संस्थाओं से भुगतान से सम्बन्धित पावती/रसीदें अभिलेख में नहीं लगाई गई है जिन्हें प्राप्त करके अभिलेख में लगाया जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

रोकड़ वही पृ0सं0	दिनांक	संस्था का नाम	राशि
54	28.3.02	(1) विन्टर गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया	1000
		(2) –यथोपरि–	2000
		(3) नेशनल एडवेंचर फेडरेशन	250

(viii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 56 पर दिनांक 31.3.2002 को अग्रिम ₹1600 का भुगतान दैनिक भोगी कर्मचारी श्री राम सिंह तथा श्री हरि सिंह को किया गया दर्शाया गया जिनके मस्टरोल आडिट में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

(ix) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 56 पर दिनांक 31.3.2002 को अग्रिम ₹8670/– का भुगतान दवाईयों की खरीद हेतु किया दर्शाया गया। उक्त अग्रिम भुगतान के समायोजन बिल जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गएं जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(x) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 56 पर दिनांक 31.3.2002 को अग्रिम ₹2268/– का भुगतान श्री के0दयाल को किया दर्शाया गया जिसके समायोजन से सम्बन्धित बिल प्रस्तुत नहीं किए तथा अग्रिम का उद्देश्य भी नहीं बताया गया। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(xi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 100 पर दिनांक 29.3.03 द्वारा ₹209510/– CLTD-(R.No. 824144) के अन्तर्गत दिनांक 9.7.01 को जमा की गई दर्शाई गई है। उक्त भुगतान के सम्बन्धित में मूल स्त्रोत जैसे कि बैंक की प्रविष्टि, CLTD रसीद अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख बैंक से प्राप्त करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xii) रोंकड़ वही के पृष्ठ संख्या 153 पर दिनांक 31.3.04 को ₹12440/– का भुगतान निम्नलिखित फर्मों को मोबाईल की खरीद व रिचार्ज कूपन हेतु किया गया दर्शाया गया जिसके बिल/वाउचर, कोटेशनें, स्टॉक प्रविष्टि इत्यादि आडिट के दौरान नहीं दिखाई गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि मोबाईल खरीदने पर भुगतान व्यवसायिक लेखों पर उचित प्रभार नहीं था। अतः उक्त खरीद को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर के नियमित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

रोकड़ वही पृ0सं0	दिनांक	फर्म का नाम	राशि
153	31.3.04	M/S Manali Himalyan travels (mobile)	4800
		Recharge Coupon BSNL	1000
		Prepaid recharge Coupon M/S Pankaj Vibsion Bill 1321 dt. 12-7-03	840
		Purchase of mobile set R.No. 3339 dt 12-7-03	5800
		योग	**12840**

(xiii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 99 पर दिनांक 12.3.03 को अग्रिम/ऋण की ₹150000/– खाद्य लेखों को भुगतान की गई। उक्त अग्रिम राशि की व्यवसायिक लेखों में रिकूपमैन्ट आडिट में नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xiv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 101 पर दिनांक 29.3.03 को अग्रिम/ऋण की ₹100000/– प्रभारी एडवेंचर स्पोर्टस सेन्टर हाटकोटी को शौचालय के निर्माण हेतु दी गई। उक्त अग्रिम राशि की व्यवसायिक लेखों में रिकूपमैन्ट आडिट में नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 152 पर दिनांक 31.3.04 को अग्रिम ₹37680/– का भुगतान कैशियर को खाद्य लेखों के भुगतान हेतु किया गया। उक्त अग्रिम राशि की व्यवसायिक लेखों में रिकूपमैन्ट आडिट में नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xvi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 176 पर दिनांक 31.3.04 को अग्रिम की ₹5186/– रमेश चन्द को सरकारी खातों के बिलों के लिए भुगतान की गई। उक्त अग्रिम राशि की व्यवसायिक लेखों में रिकूपमैन्ट आडिट पैरों के दौरान नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xvii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 174 पर दिनांक 31.3.04 को निम्नविवरणानुसार ₹4404/– का भुगतान हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को किया गया परन्तु जिन प्रशिक्षणर्थियों द्वारा यात्रा की गई उनसे सम्बन्धित ब्यौरा नहीं दर्शाया गया जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त ₹4404/– के भुगतान के सम्बन्ध में वांन्छित कार्रवाई करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

रोकड़ वही पृ0सं0	**दिनांक**	**स्टेशन का नाम**	**मात्रा/दिनांक**	**राशि**
174	31.3.04	कुफरी से शिमला	27.8.03	936
		फागू से शिमला	30.8.03	1470
		कुफरी से शिमला	30.8.03	1248
		फागू से शिमला	28.9.03	750
			कुल योग	**₹4404**

(xviii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 74 पर दिनांक 4.8.04 को ₹300 का भुगतान श्री बृजलाल दैनिक भोगी क्लर्क को यात्रा किराया के रूप में किया गया दर्शाया गया है। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में बस के टिकट अभिलेख में नहीं पाये गए। अतः बस किराए इत्यादि से सम्बन्धित टिकट जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाएं।

(xix) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 128 पर दिनांक 21.8.04 को अग्रिम ₹3422 को भुगतान श्री रूप लाल सहायक प्रबन्धक को सरकारी खातों के बिलों की अदायगी करने के लिए किया गया दर्शाया गया है। उक्त अग्रिम भुगतान की व्यवसायिक लेखों में रिकूपमैन्ट आडिट के दौरान नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xx) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 121 पर दिनांक 31.3.06 को अग्रिम की ₹40898/— का भुगतान सरकारी खातो के बिलों हेतु किया गया किया दर्शाया गया है। उक्त अग्रिम भुगतान की व्यवसायिक लेखों में रिकयूपमेन्ट आडिट के दौरान नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 112 पर दिनांक 22.3.06 को ₹10000/— का भुगतान डाक विभाग मनाली को शासकीय टिकटों की खरीद हेतु किया गया दर्शाया गया। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में टिकटों की स्टॉक प्रविष्टि व टिकटों की खपत का ब्यौरा आडिट में नहीं दिखाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 120 पर दिनांक 30.3.06 को ₹260715 का भुगतान सोसाईटी लेखों को "Recovery of Advance Society Account/Grant received from W.G.F.I." करके किया गया दर्शाया गया। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में विन्टर गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया से प्राप्त ग्रांट की राशि की प्रविष्टि व सोसाईटी लेखों से विन्टर गेम्स हेतु कितना भुगतान किया गया, का ब्यौरा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांन्छित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(xxiii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 187 पर दिनांक 14.3.08 को ₹4213 का भुगतान निम्नलिखित समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु किया गया परन्तु विज्ञापन में सम्बन्धित प्रविष्टियाँ विज्ञापन रजिस्टर में नहीं की गई थी। अतः वांन्छित कार्रवाई करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

रोकड़ वही / पृ0सं0	दिनांक	समाचार पत्र का नाम	बिल संख्या	राशि
187	14.3.08	गिरिराज, शिमला	347 दिनांक 5.12.07	1500
		अमर उजाला चण्डीगढ़	1710443 दिनांक 13.11.07	1189
		जागरण, प्रकाशन लुधियाना	–शून्य–	1554
			कुल योग	**4213**

(xxiv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 184 पर दिनांक 7.3.08 को ₹17498/– का भुगतान मै0 ए0बी0 एन्टरप्राईजिज को उनके बिल संख्या 97 दिनांक 3.5.07 व बिल संख्या 98 दिनांक 3.5.07 के एवज में विभिन्न प्रकार के सामान की खरीद हेतु किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित निविदायें अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 185 पर 11.3.08 को ₹13300 का भुगतान मै0 भारत कैनिंग वर्कस को उनके बिल संख्या 88 दिनांक 27.2.08 के एवज में किया गया। उक्त किए गए भुगतान के सम्बन्ध में पावती अभिलेख में नहीं पाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

(xxvi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 71 पर दिनांक 19.03.09 को ₹42685/– का भुगतान प्रबन्ध निर्देशक HP State Electronics Corp. Shimla को उनके प्रोफार्मा इन्वाईस संख्या 6484 दिनांक 25.11.08 के एवज में किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित मूल बिल व सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ आडिट में नहीं दिखाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(xxvii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 191 पर दिनांक 24.3.08 को उप निदेशक, रीजनल वाटर स्पोर्टस सेन्टर पौंगडैम को K.V. CRPF, Jarda Kalan को फीस की ₹64771/– तथा KV Kota को फीस की ₹27000/– का रिफण्ड दिया गया। उक्त फीस की प्राप्ति की मूल प्रविष्टि व रिफण्ड के भुगतान के एवज में संस्थाओं की पावतियाँ अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

(xxviii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 192 पर दिनांक 27.03.08 को मस्ट्रोल संख्या 3356 के अन्तर्गत ₹40000/– का भुगतान श्री कर्मा छेरिंग गाँव काईस को खच्चरों से सामान की

ढुलाई के लिए किया गया दर्शाया गया। उक्त भुगतान के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाये जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(xxix) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 193 पर दिनांक 31.3.08 को फीस की ₹4500/– का भुगतान व्यवसायिक खाते से खाद्य लेखों में किया गया दर्शाया गया है। उक्त फीस की राशि को वर्ष 2007 में चैक संख्या 3005/25.4.07 द्वारा प्राप्त कर के व्यवसायिक लेखों के बैंक खाते में जमा किया गया था। अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि उक्त ₹4500/– की खाद्य लेखों के सम्बन्धित बैंक में जमा प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः व्यवसायिक लेखों से खाद्य लेखों में जमा करवाई गई राशि की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xxx) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 194 पर दिनांक 31.3.08 को आयकर विभाग को क्रमशः ₹3952 व ₹2744 का भुगतान, श्री अमृत लाल व श्री कालम सिंह ठेकेदारों से की गई आयकर के रूप में कटौती को जमा करने हेतु किया गया। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में ठेकेदारों से आयकर के रूप में की गई कटौती के मूल बिल अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

(xxxi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 72 पर दिनांक 20.3.09 को SDM मनाली से प्राप्त की गई ₹7500 का भुगतान मै0 मोनाल हिमालयन ट्रेबल को खोज अभियान के लिए प्रयोग की गाड़ी के लिए किया गया दर्शाया गया है। उक्त भुगतान के सम्बन्ध में मूल बिल व SDM मनाली से प्राप्त राशि की प्रविष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxxii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 145 पर दिनांक 12.3.10 को निम्नविवरणानुसार ₹105200/– का भुगतान HP Agro Industries Corp. Kullu को विभिन्न गाड़ियों के टायर व बेटरी इत्यादि की खरीद के लिए किया गया।

रोकड़ वही/पृ0सं0	दिनांक	प्रोफार्म इन्वाईस सं0	दिनांक	सामान का नाम	राशि
145	12.3.10	23062	11.2.10	टायर	75000
		23064	11.2.10	टायर	25000
		23063	11.2.10	बैटरी	5200
				कुल योग	**105200**

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में मूल बिल, भुगतान की पावती, स्टॉक प्रविष्टि व बदले गये टायरों व बैटरी की माईलेज का ब्यौरा अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान व्यवसायिक लेखों पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। अतः इस खरीद को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए तथा वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाए।

(xxxiii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 155 पर दिनांक 31.3.10 को ₹53265/– का भुगतान संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग शिमला को वर्ष 2007–08 के दौरान सराहन चन्शूल ट्रकिंग के लिए प्राप्त राशि में से शेष बची राशि के लौटाने हेतु किया गया दर्शाया गया है। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि रिफण्ड आर्डर में प्राप्त राशि का विवरण नहीं दिया गया था जिसके अभाव में रिफण्ड की गई ₹53265/– की जाँच नहीं की जा सकी। अतः वांन्छित अभिलेख की आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

(xxxiv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 138 पर दिनांक 5.3.10 को ₹8645/– का भुगतान मै0 रायल प्रिटिंग प्रैस धर्मशाला को उनके बिल संख्या 1626 दिनांक 21.11.10 के अन्तर्गत करवाए गए प्रिटिंग कार्य हेतु किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित कोटेशनें आडिट के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxxv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 150 पर दिनांक 19.3.10 को /– श्री आर0के0 सूद पी0ए0 को टेलीफोन के बिलों के लिए करने अग्रिम ₹3873 का भुगतान किया गया। उक्त भुगतान के बिल अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

(xxxvi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 105 पर दिनांक 5.3.11 को ₹6370/– का भुगतान हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन को उनके प्रोफार्म बिल संख्या शून्य दिनांक 5.2.11 के एवज में किया गया। उक्त भुगतान के मूल बिल व खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि आडिट के दौरान नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxxvii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 116 पर दिनांक 31.3.2011 को ₹6480/– का भुगतान मै0 सिर्धार्थ ऑफसैट मनाली को उनके बिल संख्या 471 दिनांक 21.12.10 व बिल संख्या 478 दिनांक 17.1.10 के अन्तर्गत करवाए गए प्रिंटिंग कार्य हेतु किया गया था जिससे सम्बन्धित

कोटेशनें अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxxviii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 111 पर दिनांक 24.3.11 को ₹5284/– का भुगतान आयकर विभाग को आयकर कटौती को जमा करवाने हेतु किया गया दर्शाया गया। उक्त भुगतान के सन्दर्भ में आयकर के रूप में की कटौती के मूल बिल व ब्यौरा अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxxix) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 111 पर दिनांक 24.3.11 को ₹4800 का भुगतान वर्ष 2010–11 की ओली (उत्तराखण्ड) में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभियार्थियों को दैनिक भत्ते के रूप में किया गया। अंकेक्षण के दौरान उक्त भुगतान के सम्बन्ध मे ंप्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभियार्थियों की सक्षम अधिकारी की अनुमति व खेल एवं युवा विभाग द्वारा प्रतियोगिता के दौरान दैनिक भत्ते के अनुमोदित दरों की पुष्टि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वांन्छित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाये जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(xxxx) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 111 पर दिनांक 24.3.11 को ₹23790/– का भुगतान वर्ष 2010–11 में ओली, (उत्तराखण्ड) में आयोजित स्की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभियार्थियों के यात्रा किराए का निम्न प्रकार से किया गया।

फर्म का नाम	बिल सं0 दिनांक	राशि
M/S Hasison Filling Station Manali	3.1.11	1868
M/S Raja transport Pvt. Ltd	31904, 4.1.11	2747
M/S Parvati filling station Pipalkoti	116350, 17.1.11	1775
M/S Ramesh Sevice station Dharampur	34269, 19.11.11	1500
M/S Manali Luxary coach Association	————	15900
	कुल योग	**₹23790**

उपरोक्त भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि अभियार्थियों द्वारा प्राईवेट बस द्वारा यात्रा करने के सम्बन्ध में गाड़ी की लागबुक की छाया प्रति व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अभिलेख में नहीं पाई गई। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

(xxxxi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 120 पर दिनांक 31.3.11 को ₹138505/– का भुगतान मै0 आर0बी0 हार्डवेंयर एण्ड सेनिटरी स्टोर मनाली को उनके बिल संख्या 1173 दिनांक 31.3.

11 द्वारा सेनिटरी के सामान की खरीद हेतु किया गया था जिससे सम्बन्धित कोटेशनें व स्टॉक प्रविष्टियाँ अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxxxii) अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि व्यवसायिक लेखों से निम्नविवरणानुसार टेलीफोन के बिलों का भुगतान किया गया जिन के बिल/वाऊचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गये जिन्हें जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

रोकड़ वही पृ0सं0	दिनांक	बिल संख्या	राशि
151, 152	31.3.04	17564274 दिनांक 11.3.03	2377
		17562252 दिनांक 11.3.03	408
		17583202 दिनांक 11.3.03	697
		17564268 दिनांक 11.3.03	738
		175613966 दिनांक 11.3.03	176
		17578461 दिनांक 11.3.03	9485
		17562921 दिनांक 11.3.03	536
		166663033 दिनांक 11.2.02	1028
		16644099 दिनांक 11.2.02	4446
		16693927 दिनांक 11.2.02	1909
		16644082 दिनांक 11.2.02	707
		16658291 दिनांक 11.2.02	6563
		16642746 दिनांक 11.2.02	732
		17192630 दिनांक 11.2.02	140
		17157036 दिनांक 11.2.02	8217
		17140856 दिनांक 11.1.03	289
		17161776 दिनांक 11.1.03	1644
		17114495 दिनांक 11.1.03	1153
		17142833 दिनांक 11.1.03	579
		17142840 दिनांक 11.1.03	2917
		कुल योग	**44791**

इसके अतिरिक्त उक्त भुगतान व्यवसायिक लेखों पर उचित प्रभार नहीं था। अतः उक्त भुगतान सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर के नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(xxxxiii) व्यवसायिक लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार अग्रिम राशि का भुगतान विभिन्न कार्यों हेतु किया गया लेकिन इनके समायोजन वाउचरों व अन्य अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

रोकड़ वही पृ0सं0	**दिनांक**	**संस्था/प्रशिक्षणार्थी का नाम**	**अग्रिम राशि**
148	22.3.04	HP Winter Games Association Manali	30000
148	25.3.04	HAT cum Sking Centre Narkanda	20000
151	31.3.04	Sh. Ramesh Chand store keeper	5970
176	31.3.04	Sh. Dharampur Sr. Mount Supervuisor	50000
76	10.8.04	Sh. Sangat Ram Solang Nala	9900
76	10.8.04	Sh. Karam Singh	40000
76	10.8.04	Incharge Mtg Sub. Center Bharmaour	195657
76	10.8.04	Sh. Rajeev Shjarma	68000
105	3.3.06	Sh. Lal Singh Chohan Suptt.	4100
93	15.′3.07	Col. H.S. Chohan	5000
71	19.3.09	Sh. Jagat Ram Trekking guide	5000
		Total	**433627**

(xxxxiv) अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्थान द्वारा पत्रिकाओं की खरीद के लिए विभिन्न संस्थाओं/फर्मों को वार्षिक शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गया। इन भुगतानों के सम्बन्ध में संस्थाओं/फर्मा से पावती/रसीदें प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान पत्रिकाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी अभिलेख में

नहीं पाए गये। अतः वांन्छित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ वही पृ0सं0	दिनांक	संस्था फर्म का नाम	राशि
105	3.3.06	National Geographic Mumbai	2375
74	28.3.09	IBH Mgazine Mumbai	2375
144	11.3.10	National Geographic Mumbai	4275

(xxxxv) व्यवसायिक लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1.4.94 से 31.3.13 के दौरान व्यवसायिक लेखों के विभिन्न कोर्सों से प्राप्त फीस से सम्बन्धित रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxxxvi) अंकेक्षण के दौरान व्यवसायिक लेखों की फीस की रसीदों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–VII** के अनुसार कई मामलों में रसीदो को सक्षम अधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया गया है। अतः उक्त परिशिष्ट में दर्शाई गई रसीदों को रद्द न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी से रद्द करवाया जाये तथा कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(xxxxvii) व्यवसायिक लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न प्रकार के बिल/वाउचरों को ठीक ढ़ंग से नहीं रखा गया था जिसके कारण **परिशिष्ट – VIII** में दर्शाए गए बिल/वाउचरों/अभिलेख की अंकेक्षण के दौरान जाँच नहीं की जा सकी, क्योंकि इन बिलों/वाउचरों/अभिलेखों को अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इन बिल/वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख को ठीक ढ़ंग से न रखने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये उक्त अभिलेख को ठीक ढ़ंग से रखकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(xxxxviii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 99 पर दिनांक 12.3.03 को ₹1100 का भुगतान मै0 निक्का मैकेनिकल वर्कस मनाली को किया गया। उक्त भुगतान का वाउचर आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसे सत्यापित करवाकर अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xxxxix) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 159 पर दिनांक 31.3.04 को ₹2171 का भुगतान अवधि 21.8.03 से 27.9.03 के दौरान आयोजित कुफरी ट्रेकिंग में STD Call के लिये किया गया। उक्त भुगतान के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि बिल/वाउचरों में STD Call

करने का उद्देश्य व जिनको फोन किए गए उस कर्मचारी/कार्यालय का नाम सत्यापित नहीं किया गया जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त भुगतान के सम्बन्ध में वांन्छित कार्रवाई करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xxxxx) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 74 पर दिनांक 4.8.04 को ₹6500/– का भुगतान श्री लेख राज नेगी को ट्रेकिंग के दौरान कैम्प हेतु प्रयोग की गई जमीन व बिजली की खपत के लिये किया गया। उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि जमीन किराए पर लेने के लिए आवश्यक औपचारिकताए पूरी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त बिल में कुल जमीन का परिमाप, प्रयोग की अवधि व जमीन के स्वायित्व का विवरण नहीं किया गया था जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाये जाए।

(xxxxxi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 75 पर दिनांक 6.8.04 को ₹15000 का भुगतान श्री रमेश नाथ को ट्रेकिंग के दौरान कैम्प हेतु प्रयोग की गई जमीन किराये पर लेने के लिए किया गया। उक्त भुगतान के सम्बन्ध मे ंअभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि जमीन किराए पर लेने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त बिल में कुल जमीन का परिमाप, प्रयोग की अवधि व जमीन के स्वमित्तव का विवरण भी नहीं दिया गया था जिस क अभाव में उक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के अतिरिक्त वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाये जाएं।

(xxxxxii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 133 पर दिनांक 31.8.04 को ₹478025/– का भुगतान निमनलिखित केन्द्रों के प्रभारियों को कोर्स चार्जिज के रिफण्ड के एवज में किया दर्शाया गया। उक्त भुगतान की गई राशि के बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए तथा उक्त राशि को रिफण्ड करने के कारण अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट नहीं किए गए। अतः इस प्रकरण में वांन्छित कार्रवाई करने उपरान्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाने सुनिश्चित किए जाएं।

रोकड़ वही	पृष्ठ संख्या	दिनांक	केन्द्र का नाम	राशि
133	31.8.04		Incharge. HAT Ski Centre Narkanda	415895
			Exp. 2003-04	36207
			Exp.2004-05	
			Incharge water Sports Pong dam	25923
			योग	**478025**

(xxxxxiii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 95 पर दिनांक 26.03.07 को ₹136437/– का भुगतान सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को किया गया दर्शाया गया है। उक्त भुगतान व्यवसायिक लेखों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः ₹136437/– की सरकारी खातों में भरपाई करके व्यवसायिक लेखों में रिकूपमैन्ट की जाए अन्यथा उपरोक्त भुगतान की गई राशि को नियमित करवाने के लिए सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xxxxxiv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 110 पर दिनांक 15.3.06 को खाद्य लेखों को ₹15500 चैक संख्या 47635571 दिनांक 13.3.06 द्वारा कोर्स फीस के रिफण्ड के रूप में दी गई दर्शाई गई है। उक्त रिफण्ड की गई राशि के कारण, फीस का विवरण अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट नहीं किया गया। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाये जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(xxxxxv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 96 पर दिनांक 29.03.07 को ₹15675 का भुगतान सीनियर मैनेजर, एचपीटीडीसी मनाली को उनके बिल संख्या 1106, 1107 दिनांक 29.3.07 के एवज में किया गया दर्शाया गया है। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त भुगतान के साक्ष्य में डुप्लीकेट बिल अभिलेख में लगाये गये थे तथा भुगतान से सम्बन्धित विवरण भी नहीं दिया गया था। अतः डुप्लीकेट बिलों के आधार पर ₹15675 के भुगतान के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मूल बिल प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भुगतान से सम्बन्धित वांन्छित विवरण भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxxxxvi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 97 पर दिनांक 29.3.07 को ₹5026/– का भुगतान मै0 अनिल हार्डवेयर स्टोर को निम्नलिखित बिलों के एवज में किया गया। उक्त खरीद हेतु

संस्थान द्वारा निविदाऐं आमन्त्रित नहीं की गई थी। अतः निविदाओं के बिना किए गये भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

बिल सं0	दिनांक	फर्म का नाम	सामान का नाम	राशि
2505	23.6.06	M/S Anil Hard ware Store	सेनिटरी	2685
2507	24.6.06	-do-	-do-	930
2508	24.6.06	-do-	-do-	460
2517	24.6.06	-do-	-do-	1951
			कुल योग	**₹5026**

(xxxxxvii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 180 पर दिनांक 7.3.08 को ₹3683/– का भुगतान श्री मोहन लाल को मस्ट्रोल संख्या 3333 के अन्तर्गत किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मस्ट्रोल को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः वांन्छित कार्रवाई करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xxxxxviii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 185 पर दिनांक 11.3.08 को ₹2692/–का भुगतान निदेशक, पर्वतारोहण संस्थान मनाली को उनके मैस बिल संख्या 110 दिनांक 22.1.08 के एवज किया गया परन्तु इसके समर्थन में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या तथा प्रतिशक्षणार्थियों के मैस के बिल के भुगतान करने के उद्देश्य आडिट के दौरान स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इस प्रकरण में वान्छित कार्रवाई की जाँच करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xxxxxix) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 189 पर दिनांक 19.03.08 को ₹3700/– का भुगतान श्री सुख राम व श्री प्यारे लाल, गांव अलेऊ को बेसिक माऊंटेंनिरिंग कोर्स हेतु अनुदान के तौर पर किया गया दर्शाया गया है जोकि व्यवसायिक लेखों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त भुगतान को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर के अनियमित किया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xxxxxx) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 190 पर दिनांक 22.3.08 को ₹3150/– का भुगतान श्री राहुल कनोडिया को एलीमेन्ट्री स्की कोर्स की फीस की वापिसी हेतु किया गया दर्शाया

गया है। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फीस की राशि को श्री इशदीय IIT कानपुर द्वारा प्राप्त किया गया है। अतः इस बारे में श्री राहुल कनेडिया की फीस को श्री इशदीय IIT कानपुर को वापिस करने का औचित्य स्पष्ट की जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xxxxxxi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 192 पर दिनांक 25.03.08 को अग्रिम ₹1820/– का समायोजन किया गया दर्शाया गया है। अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त अग्रिम राशि के समायोजन वाउचर के साथ डुप्लीकेट बिल संलग्न किए गए थे। इसके अतिरिक्त अंकेखण के दौरान यह भी पाया गया कि स्वीकृति पत्र अनुसार इस प्रकरण में अग्रिम ₹2000/– प्रदान की गई थी तथा शेष बची राशि को रोकड़ वही में जमा किया गया दिखाया गया है। अतः उक्त अग्रिम ₹2000/– के समायोजन बारे में पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये मूल बिल प्रस्तुत किए जाएं व शेष बची ₹180 की रोकड़ वही में प्रविष्टि दिखाई जाए।

(xxxxxxii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 193 पर दिनांक 27.3.08 को अग्रिम ₹6000/– में से सरकारी खाते में ₹5935/– जमा करवाई गई दर्शाई गई है। उक्त भुगतान किस सन्दर्भ में किया गया तथा अग्रिम ₹6000/– को किस दिनांक को आहरित किया गया, इसके बारे में वस्तुस्थिति अंकेक्षण के दौरान स्पष्ट नहीं की गई। इसके अतिरिक्त शेष बची ₹65 की भी रोकड़ वही में प्रविष्टि भी नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में करके वास्तविक तथ्यों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(xxxxxxiii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 143 पर दिनांक 10.3.10 को ₹17000 का भुगतान हिमालयन गोशाला कटराई को उनकी रसीद संख्या 819 दिनांक 10.3.10 के अन्तर्गत सहायतार्थ के रूप में दी गई राशि के रूप मे किया गया। उक्त भुगतान व्यवसायिक लेखों पर उचित प्रभार नहीं है जिसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए भुगतान की गई राशि को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए अन्यथा इनकी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(xxxxxxiv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 152 पर दिनांक 23.3.10 को निम्नविवरणानुसार ₹10700 का भुगतान ट्रक/ट्रेक्टर मालिकों को मिट्टी की ढुलाई के लिए किया गया।

ट्रक/ट्रेक्टर मालिक का नाम	गाड़ी सं0	विवरण	₹
श्री कुमार लामा	एच0पी–58–1614	8 Tipper @400	3200
श्री राम बहादुर	एच0पी–1581		
		30 tractor @ 250	7500
श्री कर्ण सिंह	एच0पी–34–2078		
श्री लेख राज	एच0पी–34–2684		10700

उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मिट्टी की ढुलाई के लिए ट्रक/ट्रेकटर मालिकों को संयुक्त रूप से ₹10700/– का भुगतान किया गया था जोकि नियमानुसार सही नहीं है। जाँच करने पर यह भी पाया गया कि संस्थान द्वारा मिट्टी की ढुलाई का कार्य बिना कोटेशनें आमन्त्रित किए करवाया गया तथा मिट्टी को प्रयोग करने का उद्देश्य व कार्य का विवरण भी बिल में नहीं दर्शाया। अतः उक्त भुगतान की गई ₹10700/– का औचित्य स्पष्ट किया जाए व बिना आवश्यक औपचारिकताओं पूर्ण किए करवाए गए कार्य को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा वांन्छित अभिलेख को भी आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(xxxxxxv) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 152 पर दिनांक 25.3.10 को ₹141000/– का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग शिमला को 94 ट्रेकिंग प्रशिक्षणार्थियों की ₹1500/– प्रति प्रशिक्षणार्थी रजिस्ट्रेशन की फीस हेतु किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र संख्या YSS(M) H/F-102/2009-10 दिनांक शून्य के अनुसार केवल 83 प्रशिक्षणार्थियों को ही मनाली तथा धर्मशाला में ट्रकिंग का प्रशिक्षण दिया गया था। अतः शेष 11 प्रशिक्षणार्थियों की ₹1500 प्रति प्रशिक्षणार्थियों की दर से ₹16500/– की रजिस्ट्रेशन फीस का अधिक भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा पर्यटन विभाग को भुगतान की गई राशि की पावती भी अभिलेख में लगाई जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(xxxxxxvi) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 154 पर दिनांक 30.3.10 को निम्नविवरणानुसार ₹28405/– का भुगतान निदेशक, अटल बिहारी पर्वतारोहण व सम्बन्ध खेल संस्थान मनाली को किया गया।

बिल सं0	दिनांक	राशि
1035	15.3.10	17324
1034	–यथोपरि–	14016
1030	–यथोपरि–	4565
		35905
Less already paid to Mr. Uday Ram		7500
		28405

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त बिलों के भुगतान में से ₹7500/– का भुगतान श्री उदय राम की पहले ही किया जा चुका था जिस के बारे में विवरण तथा बिल/वाउचर इत्यादि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः ₹7500/– के भुगतान को पूर्व में करने का औचित्य व मूल बिल/विवरण इत्यादि जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाये व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(xxxxxxvii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 156 पर दिनांक 31.3.10 को ₹85046 का भुगतान निम्न प्रकार से किया गया दर्शाया गया।

कोर्स का नाम	भुगतान का विवरण	राशि
एडवान्स कोर्स अवधि 7.3.03 से 20.3.03	पोर्टर/कुक, 3	3080
बी0एम0सी0 एडवान्स कोर्स जुलाई 2008	मस्ट्रोल संख्या 2921	81966
	प्रशिक्षक 19	
	कुल योग	**₹85046**

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त भुगतान बिल जो कि गत वर्षों के खाद्य लेखों के सम्बन्धित था को व्यवसायिक लेखों से किया गया था जिसके बारे में अंकेक्षण के दौरान स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः गत वर्षों के खाद्य लेखों से सम्बन्धित भुगतान को व्यवसायिक लेखों से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भुगतान की गई राशि को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर के नियमित करवाया जाए तथा कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(xxxxxxviii) रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 111 पर दिनांक 24.3.11 को ₹1600 का भुगतान आरियेण्टल इन्शुरेन्स कम्पनी, मनाली के पक्ष में SFA विन्टर गेम्स 2011 (अवधि 6.1.11 से 16.1.11) में भाग लेने वाले अभियार्थियों के इन्शुरेन्स के लिए किया गया दर्शाया गया है। उक्त

भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि इन्शुरेन्स कम्पनी को साधारण कागज के बिल पर भुगतान किया गया था। अतः प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभियार्थियों की मूल बीमा पालिसी/रसीद जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए।

(xxxxxxix) अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि व्यवसायिक लेखों से निम्नविवरणानुसार मोबाईल बिलों का भुगतान किया गया जोकि व्यवसायिक लेखों पर उचित प्रभार नही था। अतः मोबाईल बिलों पर किए गये उक्त भुगतान को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

रोकड़ वही पृ0सं0	दिनांक	फर्म का नाम	राशि
99	12.3.03	मै0 भारती टेलिवेन्चर लि0 बिल संख्या 21457324 दिनांक 1.3.03	1810
147	17.3.04	मै0 भारती सेलुलर लि0 बिल संख्या 718220 दिनांक 20.3.04	1807
128	20.8.04	मै0 भारती सेलुलर लि0 बिल संख्या 617267 दिनांक 20.8.04	2822
94	20.3.07	एयरटेल बिल संख्या 588842295 दिनांक 3.3.07	1880
		कुल योग	**8319**

(xxxxxxx) अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि व्यवसायिक लेखों की निम्नलिखित अवधि की रोकड़ वही आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई है जिसे सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्ष्राण में करवाई जाए।

रोकड़ वही पृ0सं0	अवधि
पृ0 1 से 67 तक	1.4.03 से 22.7.03
पृ0 182 से185 तक	6.1.05 स 31.3.05
पृ0 145 से 176 तक	2.3.04 से 31.3.04

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 **निष्कर्षः—** लेखाओं के रख रखाव व बैंक के साथ जमा राशि के समाधान में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)(एच)(2)सी(15)(14) 71/83खण्ड—3—2055—2057, दिनांक02. 04.2014, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :—

पंजीकृत :—1 निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सम्बन्धित खेल संस्थान मनाली जिला कुल्लू, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 अतिरिक्त सचिव युवा सेवाएं एवं खेल हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2

3 श्री मोहिन्द्र कुमार अनुभाग अधिकारी द्वारा.................

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.